झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा संचालित झारखंड राज्य के निम्नलिखित सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक मॉर्डन रेडिमेड गारमेंटस (सिलाई प्रशिक्षण) में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्न विवरणी एवं शर्तों के अनुसार निःशुल्क आवेदन पत्र दिनांक–30.04.2026 तक आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र.	जिला	प्रशिक्षण केंद्र का नाम	आवेदन पत्र जमा करने का पता
1	रांची	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, उद्योग भवन, रातु रोड, राँची	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग भवन, रातू रोड, रांची में या संबंधित केन्द्रों में।
2	रांची	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, सीताडीह, अनगड़ा, राँची	
3	रांची	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, डोरंडा, राँची	
4	रांची	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, ओरमांझी, रांची	
5	रांची	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, चुट्टू, रांची	
6	हजारीबाग	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, मेन रोड, हजारीबाग	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, मेन रोड, हजारीबाग
7	कोडरमा	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, बेलाटांड़, झुमरीतिलैया, (कोडरमा)	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, बेलाटांड़, झुमरीतिलैया, (कोडरमा)
8	लोहरदगा	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, लोहरदगा	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, वनवासी कल्याण केंद्र, लोहरदगा
9	देवघर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, देवघर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, छतीसी–बी, देवघर
10	जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, घोड़ाबांधा, जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, घोड़ाबांधा, जमशेदपुर
11	जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, डुमरिया, जमशेदपुर	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, डुमरिया, जमशेदपुर
12	धनबाद	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, धनसार, धनबाद	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, धनसार, धनबाद
13	दुमका	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, दुधानी, दुमका	सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, दुधानी, दुमका

नोटः आवेदन संबंधित केंद्र/प्रधान कार्यालय में, डाक द्वारा भी जमा किया जा सकता है या प्रधान कार्यालय के **Email ID : jskvib123@gmail.com** पर भी 30.04.2026 तक प्रेषित किया जा सकता है।

आवश्यक शर्तें :–

1. अभ्यर्थियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
2. आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
3. न्युनतम शैक्षणिक योग्यता 08वीं उतीर्ण है, परंतु मैट्रिक पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. सिलाई प्रशिक्षण की अवधि 06 (छः) माह की होगी।
5. प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित छात्रवृति 4500.00 रुपये प्रतिमाह/150.00 रु. प्रतिदिन देय होगा।
6. आधार कार्ड/मतदान पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही ST, SC एवं OBC का जाति प्रमाण–पत्र (आवेदन में जाति का उल्लेख स्पष्ट करें।) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. प्रशिक्षण का समय पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा।
8. आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरा हुआ फोटो के साथ निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।
9. प्रशिक्षणार्थियों के चयन में निर्धारित आरक्षण प्रावधानों को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
11. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात इच्छुक प्रशिक्षणार्थी से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्रों में आवश्यकतानुसार सेवा ली जायेगी।

आवेदन पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के **वेबसाइट : www.jharkhandkhadi.net** से डाउनलोड किया जा सकता है।

झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

केन्द्र का नाम : ....

''प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

फोटो

सेवा में,

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग पदाधिकारी/प्रबंधक,
झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
.... ।

विषय : प्रशिक्षक प्राप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्र .... के माध्यम से .... ट्रेड में प्रशिक्षक प्राप्त करने के लिए मैं अपनी निम्न जानकारी प्रस्तुत करते हुए आवेदन कर रहा रही हूं।

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. शैक्षणिक योग्यता : ....
4. जन्म तिथि : .... आधार संख्या ....
5. उम्र : .... मोबाईन नं. ....
6. जाति : ....
7. स्थायी : ग्राम :.. पो0 ....
   थाना :.. जिला ....
   राज्य :..
8. बैंक खाता की विवरणी (Updated) :
   खाताधारी का नाम अंग्रेजी में (Capital Letter) : ....,
   खाता संख्या : ...., IFSC Coad : ....,
   बैंक का नाम : ...., बैंक शाखा का नाम : ....,

टिप्पणी : शैक्षणिक योग्यता/जाति (सामान्य का छोड़कर)/आवासीय प्रमाण–पत्र (मतदान पहचान पत्र या पारिवारिक राशन कार्ड या बैंक अथवा डाकघर का पास बुक या ड्राईविंग लाइसेंस या आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड) विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन पत्र को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को 01 (एक) वर्ष अनिवार्यरूप से बोर्ड के आवश्यकतानुसार झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के केंद्रों में उत्पादन कार्य करना होगा।

सुश्री/श्रीमती/श्री .... ट्रेड में .... प्रशिक्षक देने के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रबंधक/केंद्र प्रभारी
झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड